



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, झोरणडा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: SB/Budget-NP/EV.PL.C-07/2015-16 3817 दिनांक: ५.१२.१५

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०,
झारखण्ड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 01-वानिकी,, 005-वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग "12- मूल्यांकन सह योजना कोषांग" उपशीर्ष के अंतर्गत राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं दन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक - 7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015, पत्रांक-4/ गै० यो० ब० - 30 / 2002-27 / स्वी० व०प० राँची दिनांक-30.07.2015 एवं आपका पत्रांक-453, दिनांक-04.11.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ग्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "12- मूल्यांकन सह योजना कोषांग" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में रु० कुल 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रु०) की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक- 7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा विहार सरकार, वित्त विभागीय झाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या BFDECP/12-15-16/10ECP की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक: 3817 दिनांक: ५.१२.१५

प्रतिलिपि— Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Praveen Jaiswal
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।*



जारीकरण सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

PCCF, JHARKHAND

वालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट रीप के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BFDECP/12-15-16/10ECP

दिनांक

02-Dec

क्रमांक	विपक्र कोड	एकसेस नं०	निकाटी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601005120213 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 005 . वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 12 . मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग 02 . यात्रा सो. 13 . देशभूमि का संरक्षण एवं व्यवस्था यात्रा भत्ता	78522	DRNFWL198 A.K.PANDEY.IFS ADDI.PCCF.FDA JHARKHAND RANCHI	80,000.00 रुपये अस्सी हजार
2	N 19 240601005120315 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 005 . वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 12 . मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग 03 . प्रशासनिक व्यय 15 . कार्यालय व्यय	78524	DRNFWL198 A.K.PANDEY.IFS ADDI.PCCF.FDA JHARKHAND RANCHI	20,000.00 रुपये बीस हजार
3	N 19 240601005120442 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 005 . वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 12 . मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग 04 . मोटरगाड़ियाद / इधन 42 . मोटरगाड़ी इधन एवं भरप्पति	78525	DRNFWL198 A.K.PANDEY.IFS ADDI.PCCF.FDA JHARKHAND RANCHI	25,000.00 रुपये पचास हजार
योग:				125,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक लाख पचास हजार			

PCCF, JHARKHAND RANCHI

Forest Department, Government of Jharkhand

(S. C. NICAM)